

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र० स०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि		प्रथम/द्वि तीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/ पे-लेवल
1	माली राम बुनकर, राउमावि, दुधीआमलोदा प०स० विराटनगर (जयपुर)	प्रधानाचार्य	03-06-1960	01-07-1983	30 YEAR	30-06-2013	01-07-2013	6800/-
2	नरेश कुमार भारद्वाज, राउमावि, दौलतसिंहपुरा प०स० नीमराना जिला अलवर	प्रधानाचार्य	07-07-1963	28-09-1989	30 YEAR	27-09-2019	28-09-2019	L-17
3	नन्दलाल, राउमावि, कमेडिया, प०स० जायल जिला नागौर	प्रधानाचार्य	07-05-1962	17-07-1997	20 YEAR	16-07-2017	17-07-2017	L-17
4	पुखराज सुथार, राउमावि, झाडोलीवीर, प०स० शिवगंज जिला (सिरोही)	प्रधानाचार्य	10-07-1965	25-09-1989	30 YEAR	24-09-2019	25-09-2019	L-17
5	पुष्करदयाल शर्मा, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर	सेवानिवृत्त जि.शि.अ.	26-06-1960	08-12-1993	20 YEAR	07-12-2013	08-12-2013	6800/-
6	मोहनलाल अग्रवाल, राउमावि, किशनपुरा, प०स० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़	प्रधानाचार्य	05-05-1963	01-05-1989	30 YEAR	30-04-2019	01-05-2019	L-17

क्र० स०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि		प्रथम/द्वि तीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/ पे-लेवल
7	मनोज कुमार शर्मा, कार्या. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प०स० बानसूर, अलवर	एसीबीईओ -II	02-07-1966	26-12-1989	30 YEAR	25-12-2019	26-12-2019	L-17 6800/-

नोट :-

- 1 एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर/पे लेवल में समान स्तर पर या आगामी स्तर पर वेतन निर्धारण किया जावेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 17.9.2020

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-3/एसीपी/2020/76

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा
2. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित संस्था प्रधान प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
4. संबंधित अधिकारी
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।


✓संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर